102

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी 3–4/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 12/07/2016

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
गृह(पुलिस)/जेल/वाणिज्यिक कर/वन/
परिवहन विभाग ।

विषयः— राज्य शासन के वर्दीधारी विभागों की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण ।

सन्दर्भः—1. सा0प्र0विभाग का परिपत्र क्रमांक सी–3–11/ 2012 /1 /3, दिनांक 03 नवम्बर, 2012

2. सा0प्र0 विभाग का परिपत्र क्रमांक सी 3–11/2012/3/एक, दिनांक 20 नवम्बर, 2012

3. सा0प्र0 विभाग का परिपत्र क्रमांक सी 3–11/2012/1 / 3, दिनांक 13 जनवरी, 2016

सन्दर्भित परिपत्र दिनांक 03 नवम्बर, 2012 द्वारा राज्य शासन की समस्त सेवाओं में सीधी भरती के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तथा आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ावर्ग)/ शासकीय सवकों/ निगम/ मण्डल/नगर सैनिकों एवं महिलाओं हेतु 05 वर्ष की छूट के साथ अधिकतम 45 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है । इसी आदेश की कंडिका–3 में स्पष्ट किया गया है कि अधिकतम आयु सीमा में की गई वृद्धि गृह(पुलिस), वन, आबकारी एवं जेल विभाग के कार्यपालिक पदों पर लागू नहीं होगी । इन विभागों के प्रावधान के अनुसार ही लागू होगी । अर्थात् इन पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु–सीमा 40 वर्ष का लाभ प्राप्त नहीं होगा ।

2/ गृह विभाग (पुलिस), वाणिज्यिक कर (आबकारी), जेल, परिवहन एवं वन विभाग के वर्दी धारी संवर्गों में उक्त विभागों के भर्ती नियमों में पृथक–पृथक आयु सीमा निर्धारित है । आयु सीमा में एकरूपता की दृष्टि से विचारोपरांत उक्त विभागों के सभी वर्दीधारी संवर्गो(राजपत्रित/अराजपत्रित) में न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :—

क्र.	भरती का तरीका	न्यूनतम आयु–सीमा	अधिकतम आयु–सीमा
1	2	3	4
1	खुली प्रतियोगिता से सीधी भरती के आवेदकों हेतु	21 से 28 वर्ष	—
2	आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ावर्ग)/शासकीय सेवकों/ निगम/ मण्डल/स्वायत्तशासी संस्थाएं/नगर सैनिकों एवं महिलाओं हेतु।	21 से 28 वर्ष	28+10=38 वर्ष

निरन्तर....2